पत्रांक– 12/विविध–12/2020......569

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सज्जन आर, (भा.प्र.से.),
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

पटना, दिनांक 22/09/23

विषयः– **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं की 100% उपस्थिति के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 439 दिनांक 17.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न संचालित कोर्स (बी०एड०, एम०एड०, डी०एल०एड०) में सारे प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रम सत्र के अंत तक, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 85 प्रतिशत अनिवार्य है तथा 85 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होने पर उन्हें अगली परीक्षा हेतु फार्म भरने नहीं दिया जाएगा– ऐसा दिशा निर्देश दिया गया था।

सम्यक विचारोपरान्त सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान में सभी प्रशिक्षुओं की उपस्थिति नई समय सारणी को लागू करते हुए शतप्रतिशत अनिवार्य कर दिया गया है तथा अनुपस्थित पाये जाने वाले प्रशिक्षुओं के विरूद्ध कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इन प्रशिक्षुओं की प्रतिदिन की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन में दर्ज कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी आश्वस्त हो ले कि बायोमैट्रिक मशीन का API access निदेशालय के कार्यालय में हो। सभी प्रशिक्षुओं का प्रतिदिन गूगल फार्म में उपस्थिति प्रतिवेदन तैयार कर अपराह्न 2:00 बजे तक उपलब्ध करावें ताकि शाम 5:00 बजे की समीक्षात्मक बैठक में इस उपस्थिति पर चर्चा हो सकें।

यह भी निदेश दिया जाता है कि Morning School Experience Program (SEP) के पश्चात् प्रशिक्षुओं द्वारा उपस्थिति नहीं दर्ज करने पर उन्हें उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा।

यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी उसी Configuration वाली बायोमैट्रिक मशीन का प्रयोग करें जिसकी चर्चा की गयी है।

Configuration (बायोमैट्रिक मशीन)– "e-Time office Timeoffice Face Attendance Machine Z500 v2 with cloud connection with api data in json"

100 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने हेतु प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य नियमानुसार उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

22/9/23

(सज्जन आर)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।